VIDYA BHAWAN RURAL INSTITUTE

(An Institution of Vidya Bhawan Society)

P.G. College of Arts, Science & Commerce
Affiliated to MLSU, Udaipur
NAAC Accredited 'B' Grade College

1931 - 2021

B.A. I B.Sc. I B.Com.
B.B.A. I B.C.A.
M.A. I M.Sc.

91-7425980289
www.vidyabhawan.in / vidya-bhawan-rural-institute/
vbriadmission@gmail.com, vbriudr@yahoo.com
Near Syphon Chauraha, Badgoan Road, Udaipur

PROSPECTUS 2022-23

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
on the recommendation of the duly appointed
Peer Team is pleased to declare the
Vidya Bhawan Rural Institute
Udaipur, affiliated to Mohanlal Sukhadia University, Rajasthan as
Accredited
with CGPA of 2.32 on four point scale
at B grade
valid up to December 09, 2019

Date : December 10, 2014

Director

VISION

"EMPOWERING RURAL YOUTH THROUGH QUALITY EDUCATION"

MISSION

- To make efforts to impart quality and value based education to rural and tribal youth and to train the students to face challenges in current competitive global market.
- To provide an environment for development of overall personality of the students.
- To expand horizon to build a better society.

महाविद्यालय की प्रमुख विशेषताएँ

★ निरन्तर श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम।

★ समृद्ध पुस्तकालय।

★ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति एवं अन्य छात्र वृत्तियाँ।

★ नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएँ।

★ सह-शिक्षा।

★ हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम में शिक्षा व्यवस्था।

★ खेल के विशाल मैदान एवं खेलकूद की उत्तम श्रेणी की सुविधाएँ।

★ उच्च शिक्षित संकाय सदस्य।

★ विशाल एवं प्रदूषण मुक्त सुन्दर परिसर।

★ रोजगार एवं उच्च शिक्षा सम्बन्धी परामर्श एवं मार्गदर्शन।

★ रोजगार हेतु केम्पस साक्षात्कार की व्यवस्था।

★ प्रथम वर्ष के समस्त नियमित विद्यार्थियों हेतु कौशल विकास में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम बिना अतिरिक्त शुल्क।

विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट, उदयपुर

संस्था का परिचय

विद्या भवन देश के शिक्षा जगत की एक प्रतिष्ठित संस्था है। इसकी स्थापना सन् 1931 में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में हुई। संस्था की स्थापना का उद्देश्य था, पारम्परिक शिक्षा के स्थान पर शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयोग कर समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप ऐसे नागरिक तैयार करना जो एक नये समाज तथा राष्ट्र का निर्माण कर सके।

संस्था इस लक्ष्य की प्राप्ति में सफल रही एवं अनवरत विकास करने लगी। विद्या भवन ने शिक्षा जगत में अपनी अमूल्य सेवाएँ प्रदान की हैं। इसने परम्परागत शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ कई नवीन और मौलिक प्रयोग किये। वनशाला, सहशिक्षा, सबके लिए शिक्षा और बुनियादी शिक्षा जैसे प्रयोगों से विद्या भवन ने अपनी स्थापना के साथ ही पूरे भारत में अपनी अलग पहचान बनाई। विद्या भवन केवल पुस्तकीय ज्ञान को ही महत्त्व नहीं देता, अपितु पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करता है जो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझे और उनका निर्वाह करते हुए समाज तथा राष्ट्र की सेवा कर सके।

अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निरन्तर प्रयास करते हुए तथा अपनी स्थापना से अब तक के 91 वर्षों का गौरवमय इतिहास रचते हुए विद्या भवन ने अपनी यात्रा में सीनियर सैकण्डरी स्कूल के साथ-साथ विद्या भवन रुरल इंस्टीट्यूट, उच्च शिक्षा संस्थान (बी.एड. कॉलेज), पॉलीटेक्निक, बुनियादी विद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र तथा शिक्षा केन्द्र जैसी अनेक संघटक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की है।

विद्या भवन रुरल इंस्टीट्यूट का परिचय

विद्या भवन रुरल इंस्टीट्यूट इस समूचे परिवार का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। इसकी स्थापना भारत सरकार की उच्चतर ग्रामीण शिक्षा योजना के अन्तर्गत 1956 में हुई। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे स्नातक तैयार करने पर बल दिया गया जो हमारे ग्रामीणों की समस्याओं के प्रति पूर्णतः जागरूक हों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सम्यक विकास हेतु कार्य कर सके। इस हेतु एक समन्वित पद्धति अपनाई गई, जिसमें शिक्षा, प्रसार तथा शोध को एक साथ सम्मिलित किया गया।

विद्या भवन रुरल इंस्टीट्यूट ने अपनी स्थापना से अब तक के समय के साथ चलते हुए समाज की

आवश्यकताओं के अनुरूप अपना विकास किया और इस इतिहास में हजारों देशी-विदेशी छात्रों को शिक्षित कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आज यह एक बहुसंकायी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट, उदयपुर विकसित हो चुका है।

महाविद्यालय में लम्बे समय से बी.ए., एम.ए. (ग्रामीण समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान), बी.एससी. (जीव विज्ञान) तथा बी.एससी. (गणित) जैसे पाठ्यक्रम चल रहे थे लेकिन महाविद्यालय ने समाज और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पिछले दो दशकों में अनेक नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये हैं। सन् 1995 में यहाँ कम्प्यूटर शिक्षा में बी.एससी. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया। सन् 1996 में यहाँ बी.बी.एम. जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरूआत की गई। राजस्थान में बी.बी.एम. प्रारम्भ करने वाला यह प्रथम महाविद्यालय है। जो वर्तमान में बी.बी.ए. के नाम से संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही सन् 2002 में कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी तथा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ की गई। सन् 2002 में ही एनालिटकल केमेस्ट्री में एम.एससी. तथा सन् 2004 में गणित में एम.एससी. की कक्षाएँ प्रारम्भ की गई। सन् 2004 में स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय प्रारम्भ किया गया। सन् 2005 में ऑर्गेनिक केमेस्ट्री में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ की गई। सन् 2006 में बी.कॉम. प्रारम्भ किया गया। 2007 में महाविद्यालय में बी.सी.ए. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया। सन् 2011 में एम.कॉम. (ए.बी.एस.टी.) का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था।

यही नहीं, नियमित शिक्षा से वंचित छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इस महाविद्यालय में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाला अध्ययन केन्द्र भी स्थापित किया गया है, जिनमें लगभग 80 से अधिक पाठ्यक्रमों में पत्राचार द्वारा शिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध है। संस्था में शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। नियमित शिक्षण के अतिरिक्त यहाँ इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करते हुए अपने क्षेत्र, समाज और राष्ट्र की समस्याओं को समझे तथा इनके समाधान की दिशा में समुचित कार्य करने में सक्षम हों।

महाविद्यालय में पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, व्यायामशाला तथा क्रीड़ा मैदानों की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। संस्थान में दो कम्प्यूटर प्रयोगशालाएँ एवं एक अंग्रेजी भाषायी प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। महाविद्यालय के लिए यह गौरव का विषय है कि हजारों विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर देश-विदेश में अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। संस्थान से अब तक हजारों अफ्रीकी-एशियाई विद्यार्थियों ने भी सफलतापूर्वक अपनी शिक्षा पूरी की है।

सन्देश

प्रिय विद्यार्थियों,

अकादमिक सत्र 2022-23 में आपका हार्दिक अभिनन्दन। विद्या भवन रुरल इंस्टीट्यूट में अध्ययन का आपका निर्णय स्वागत योग्य है। यह महाविद्यालय विगत 65 से अधिक वर्षों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है।

बदलते वैश्विक परिदृश्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक तरफ कई चुनौतियाँ सामने आई हैं, वही दूसरी ओर विकास के कई नये अवसर भी प्राप्त हुए हैं। तकनीकी क्रान्ति ने शिक्षा के स्वरूप को ही बदल दिया है। एक बार पुनः छात्रों का रूझान विज्ञान, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी विषयों की तरफ बढ़ा है। रुरल इंस्टीट्यूट सभी संकायों में स्नातक पाठ्यक्रमों के साथ कुछ चुने हुए विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ ही बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए. जैसे व्यवसायिक पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। इस तरह पिछले वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के एक केन्द्र के रूप में रुरल इंस्टीट्यूट ने एक पहचान स्थापित की है।

हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्रतियोगिता पूर्ण इस दुनिया में विशिष्ट होना ही सबसे महत्त्वपूर्ण है। इसके लिए यह महाविद्यालय आपके अध्ययन के लिए अच्छे वातावरण, आधारभूत सुविधाओं तथा उच्च शिक्षित अध्यापकों से अध्यापन के लिए प्रतिबद्ध है।

आप जीवन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें और राष्ट्र व समाज के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका सफलतापूर्वक निर्वहन करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत।

(डॉ. तेजप्रकाश शर्मा)
निदेशक

खेलकूद

सह शैक्षणिक गतिविधियां

अन्य गतिविधियां

हिन्दी दिवस

Orientation Programme

आनन्दम गतिविधि

प्लांट ग्राफ्टिंग ट्रेनिंग

IPR कार्यशाला

IQAC Meeting

औद्योगिक भ्रमण

मछली पालन पर त्रिदिवसीय कार्यशाला

शिक्षक दिवस

CDFST College Visit

अनुक्रमणिका

1.	संस्था का परिचय	02
2.	प्रवेश कार्यक्रम सत्र 2022-23	08
3.	नियमित पाठ्यक्रम	
	(I) कला संकाय-बी.ए.	11
	(ii) वाणिज्य संकाय - बी.कॉम.	12
	(iii) प्रबन्धसंकाय-बी.बी.ए.	13
	(iv) विज्ञान संकाय - बी.एससी.(गणित, जीव विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान)	14
	(v) कम्प्यूटर विज्ञान - बी.सी.ए.	15
	(vi) कला संकाय-एम.ए.	17
	(vii) विज्ञान संकाय - एम.एससी.(रसायन विज्ञान, गणित)	18
	(viii) कौशल विकास क्षमता संवर्धन प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	20
	(ix) विद्यावाचस्पति	21
4.	प्रवेश नियम एवं प्रक्रिया	22
5.	विद्यार्थी आचार संहिता एवं नियम	29
6.	पुस्तकालय हेतु आचार संहिता	31
7.	गणवेश(यूनिफार्म)	33
8	विद्यार्थियों के लिए विभिन्न सुविधाएँ एवं गतिविधियाँ	34
9.	संस्था में संचालित अध्ययन केन्द्र (IGNOU SC 2302)	38
10.	सत्र की गतिविधियां एवं अवकाश	39
11.	महाविद्यालय द्वारा देय शुल्क का विवरण	42
12.	संकाय सदस्य एवं ऑफिस स्टाफ	47
13.	वी.बी.आर.आई स्टार	50
14.	सांस्कृतिक गतिविधियाँ	51
15.	सहशैक्षणिक गतिविधियाँ	52

प्रवेश कार्यक्रम सत्र 2022-23

(अ) स्नातक स्तर पर प्रथम प्रवेश

1. आवेदन पत्र विक्रय प्रारम्भ
2. आवेदन पत्र जमा होने की अन्तिम तिथि
3. अन्तरिम प्रवेश सूची का प्रकाशन एवं मूल प्रमाण पत्रों की प्रवेश समिति द्वारा जाँच
4. अन्तरिम प्रवेश सूची के अन्तर्गत प्रविष्ट विद्यार्थियों द्वारा शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि
5. प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची एवं रिक्त स्थानों के लिए द्वितीय सूची का प्रकाशन
6. द्वितीय सूची के विद्यार्थियों का शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि
7. शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ
8. शिक्षण कार्य प्रारम्भ
9. संकाय/विषय परिवर्तन की अंतिम तिथि
10. प्रवेश/प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि

राज्य सरकार के निर्देशानुसार

नोट :-

ब) स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) स्तर पर प्रथम प्रवेश

1. आवेदन पत्र विक्रय प्रारम्भ
2. आवेदन पत्र जमा होने की अंतिम तिथि
3. प्रथम प्रवेश सूची का प्रकाशन
4. प्रवेश सूची के अन्तर्गत प्रविष्ट विद्यार्थियों द्वारा शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि

राज्य सरकार के निर्देशानुसार

5. प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची का प्रकाशन

राज्य सरकार के निर्देशानुसार

6. शिक्षण कार्य प्रारम्भ

(स) स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर नवीनीकरण

सभी संकायों के स्नातक पार्ट द्वितीय एवं तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) प्रवेश के लिए सत्र 2022-23 में महाविद्यालय का नियमित अथवा पूर्व छात्र (एक्स स्टूडेन्ट) होना या विश्वविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा में प्रवेश योग्य घोषित करना ही पर्याप्त है। बशर्ते उसका व्यवहार व चरित्र संतोषजनक रहा हो।

नोट :

1. सभी संकायों के स्नातक पार्ट द्वितीय एवं तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) की कक्षाओं में राज्य सरकार के निर्देशानुसार तय तिथि तक बिना अर्हकारी परीक्षा का परिणाम घोषित हुए छात्रों को अस्थाई प्रवेश दे दिया जायेगा तथा निर्धारित दिनांक से नियमित अध्यापन कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति नियमित रूप से उपस्थिति पंजिका में अंकित की जायेगी तथा उसी तिथि से उपस्थिति की गणना की जायेगी।
2. सभी प्रवेश योग्य छात्रों को निर्धारित अंतिम दिनांक से पूर्व महाविद्यालय कार्य दिवसों में वांछित शुल्क महाविद्यालय लेखाशाखा कार्यालय में एक अण्डर टेकिंग के साथ जमा करवाना होगा। अण्डर टेकिंग का प्रपत्र महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। अर्हकारी परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन पश्चात् प्रवेश शुल्क स्वीकार नहीं होगा। अर्हकारी परीक्षा में अनुत्तीर्ण ऐसे छात्र, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश योग्य घोषित नहीं किया जाता तथा उनका अस्थाई प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा तथा उनके द्वारा जमा कराया गया शुल्क नियमानुसार पुनः लौटा दिया जायेगा।

नोट :

1. अंतरिम प्रवेश सूची में नामांकित अभ्यर्थियों द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि (नोटिफाईड डेट) तक शुल्क जमा नहीं कराने पर ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
2. समस्त प्रवेश योग्य अभ्यर्थियों के प्रविष्ट होने के उपरांत एवं प्रवेश हेतु और कोई भी फार्म उपलब्ध न होने के उपरान्त यदि किसी कक्षा/वर्ग में प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रह जाये, तो प्राचार्य द्वारा इस प्रकार से उपलब्ध रिक्त स्थानों की समाचार पत्रों में विज्ञप्ति दी जायेगी एवं इसकी प्रति महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर इन स्थानों पर प्रवेश के लिए नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। सूचनापट्ट

पर प्रदर्शित की जाने वाली इस सूचना में रिक्त स्थानों की संख्या जिस कक्षा/वर्ग में यह स्थान रिक्त है, तथा नवीन आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि का स्पष्ट उल्लेख होगा। यदि इन रिक्त स्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर छोड़कर)/विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित स्थान भी उपलब्ध हो तो उनका विवरण भी अंकित किया जायेगा। यदि बिन्दु संख्या (1) में उल्लेखित अभ्यर्थी भी प्रवेश लेना चाहे तो उन्हें उपर्युक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत पुनः प्रवेश आवेदन पत्र भरना होगा। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त समस्त नये आवेदन पत्रों में से योग्य अभ्यर्थियों को कक्षा/वर्ग में उपलब्ध स्थानों पर वरीयता क्रम के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर छोड़कर)/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके लिए आवंटित नियतांश (कोटा) पूरा न होने की स्थिति में प्रवेश नीति के अनुसार अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

3. निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के निर्देशानुसार ऐसे पूरक परीक्षा योग्य घोषित विद्यार्थी जिन्होंने महाविद्यालय में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, उनके पूरक परीक्षा के परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने पर उनका उक्त नियमित प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। उसे कोई शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।

"जितना अध्ययन करते हैं, उतना ही हमें अपने अज्ञान का आभास होता है।"

महाविद्यालय द्वारा संचालित नियमित पाठ्यक्रम

कला संकाय

कला स्नातक (बी.ए.)

सन् 1964 से महाविद्यालय में कला संकाय के अन्तर्गत मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। विगत वर्षों में कई नवीन विषयों में अध्ययन प्रारम्भ हुआ है। अकादमिक अभिरुचि की संतुष्टि हेतु, अध्यापन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कैरियर हेतु अथवा प्रशासनिक एवं अन्य सरकारी सेवाओं में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए बी.ए. की उपाधि अच्छा पाठ्यक्रम है।

प्रवेश योग्यता : 10+2 (कला/विज्ञान/वाणिज्य) उत्तीर्ण विद्यार्थी जिन्होंने न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश योग्य है।

आरक्षण : अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार।

विषय चयन

प्रथम वर्ष कला :

अनिवार्य : (1) सामान्य अंग्रेजी

(2) पर्यावरण अध्ययन

'वैकल्पिक विषय' निम्नलिखित समूहों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन किया जा सकेगा तथा एक समूह में से एक विषय से अधिक नहीं लिया जा सकेगा।

समूह-1 : इतिहास

समूह-2 : राजनीति विज्ञान/अर्थशास्त्र/संस्कृत

समूह-3 : भूगोल/अंग्रेजी साहित्य/समाज शास्त्र

समूह-4 : हिन्दी साहित्य/लोक प्रशासन/ग्रामीण विकास एवं विस्तार

टिप्पणी :

(क) प्रायोगिक विषय दो से अधिक नहीं लिये जा सकेंगे।

(ख) साहित्य विषय दो से अधिक नहीं लिये जा सकेंगे।

द्वितीय एवं तृतीय वर्ष कला :

द्वितीय वर्ष में ऐलिमेन्ट्री कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन तथा सामान्य हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाये जायेंगे। प्रथम वर्ष में चुने गये तीन ऐच्छिक विषयों का अध्ययन करना होगा (गत वर्ष के समूह के आधार पर)।

वाणिज्य एवं प्रबन्ध संकाय

वाणिज्य स्नातक (बी.कॉम.)

प्रवेश योग्यता : 10+2 (कला/विज्ञान/वाणिज्य) उत्तीर्ण विद्यार्थी जिन्होंने न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश योग्य हैं।

आरक्षण : अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार।

विषय चयन

प्रथम वर्ष वाणिज्य :

अनिवार्य :	(1)	सामान्य अंग्रेजी
	(2)	पर्यावरण अध्ययन
ऐच्छिक :	(1)	लेखा एवं सांख्यिकी
	(2)	बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र
	(3)	व्यवसाय प्रशासन

द्वितीय वर्ष :

अनिवार्य विषय :	(1)	ऐलीमेंट्री कम्प्यूटर एप्लीकेशन
	(2)	सामान्य हिन्दी
ऐच्छिक विषय :	प्रथम वर्ष (वाणिज्य) के अनुसार	

तृतीय वर्ष :

ऐच्छिक विषय : द्वितीय वर्ष (वाणिज्य) के अनुसार

Special Feature: Internship in Accountant Training for B.Com Students.

Training period: 4 months

Training starts from: With the commencement of new academic session & after the result declaration of B.Com III Year.

Selection Criteria: Faculty of Commerce & Management will select 5 students on the basis of different criterias like performance, regularity, results etc. But minium 55% in aggregate results of B.Com is mandatory.

Benefits:

- Opportunity of skill education for the students
- Develop interest in students towards accountancy.
- Students will be able to meet the demand of industry in career of Accountancy.
- Students will get certificate.

BBA (Bachelor of Business Administration)

- A Three Year Professional Degree Course

In this age of economic liberalisation and globalisation, course pertaining to management, economics, finance etc. have assumed a great deal of importance. Catching up with this trend, in 1996, VBRI pioneered in introducing this course at undergraduate level. Students passed from this institute are able to get admissions in prestigious colleges and institutions like IIM, ICFAI, S.P. Jain Institute of Management, Nirma Institute of Management, FMS Delhi University, Symbosis - Pune etc. for higher studies in management.

The BBA programme widens horizon and opportunity for students aiming career in corporate sector. It provides indepth knowledge of various functional areas of management, finance, economics, computer application and quantitative techniques.

The course aims at enabling the students to understand and improve their ability in making vital financial and administrative decisions. Classes are running on semester system.

Objectives :

1. Exploring managerial skills in the students.
2. Develop intellectual and behavioral competencies.
3. Develop future professionals and to create learning opportunities.
4. To inculcate the entrepreneur skill and leadership qualities.
5. To impart quality education with global mind set.

Industrial Visit & Case Study

Time to time industrial visits are arranged at different industries so that students can get an exposure to operational activities. Make case study as a value added learning method for BBA students. These visits are arranged to develop the insight of the students towards practical knowledge. It will enhance interpersonal skills and communication techniques.

Eligibility

Senior Secondary (10+2) pass students of any discipline with minimum 48% marks (For students outside Rajasthan : 60% marks), SC/ST/OBC candidates are eligible at minimum pass marks.

विज्ञान संकाय

विज्ञान स्नातक (बी.एससी.)

सन् 1968 से महाविद्यालय में विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर गणित एवं जीव विज्ञान समूह में अध्यापन हो रहा है। वर्ष 1995 से कम्प्यूटर विज्ञान में बी.एससी. पाठ्यक्रम का अध्ययन भी हो रहा है। 2007 से महाविद्यालय में बी.सी.ए. पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं कम्प्यूटर विज्ञान की सुसज्जित प्रयोगशालाएँ हैं। विश्वविद्यालयी परीक्षाओं में महाविद्यालय के छात्रों ने निरन्तर श्रेष्ठ परिणाम दिये हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं, अध्यापन, अनुसंधान के क्षेत्र में सफलता हेतु बी.एससी. पाठ्यक्रम एक बेहतर विकल्प है। वर्तमान में बड़ी सॉफ्टवेयर कम्पनियों की भर्ती नीतियों में बदलाव आया है। वे अब विज्ञान स्नातक को रोजगार देने में प्राथमिकता दे रही है।

विषय चयन

प्रथम वर्ष विज्ञान

अनिवार्य विषय : (1) सामान्य अंग्रेजी (2) पर्यावरण अध्ययन

वैकल्पिक विषय

1. बी.एससी. - गणित समूह

(i) गणित (ii) भौतिक विज्ञान (iii) रसायन विज्ञान

2. बी.एससी. - जीव विज्ञान समूह

(i) वनस्पति विज्ञान (ii) प्राणी विज्ञान (iii) रसायन विज्ञान

3. बी.एससी. - कम्प्यूटर विज्ञान समूह

(i) कम्प्यूटर विज्ञान (ii) भौतिक विज्ञान (iii) गणित

योग्यता : सीनियर सैकण्डरी (10+2) विज्ञान में न्यूनतम 48 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं।

आरक्षण : अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार।

द्वितीय वर्ष विज्ञान :

अनिवार्य विषय : एलीमेंट्री कम्प्यूटर एप्लीकेशन (गणित एवं जीव विज्ञान समूह के लिए) तथा सामान्य हिन्दी
वैकल्पिक विषय : प्रथम वर्ष के अनुसार।

तृतीय वर्ष विज्ञान :

वैकल्पिक विषय : द्वितीय वर्ष के अनुसार।

Computer Science

BCA (Bachelor of Computer Application)

Bachelor of Computer Application (BCA) is an undergraduate degree course in computer applications for duration of 3 years. With the rapid growth of IT industry in the world, the demand of computer professionals is increasing day by day.

BCA is one of the popular courses among students who want to make their career in IT field. This course comprises of the subjects like database, networking, data structures, core programming like 'C' and 'java'.

There is a huge scope in the field of BCA. One can do job or can go for higher studies after the completion of the course. Self employment option is also available. One can do freelancing or develop own software if have that much skills. There are many software MNCs (Multi National Companies) which provides job to the BCA graduates.

If candidate got work experience and has all the necessary required skills then can hold good positions in MNCs. While BCA gives students a good technology knowledge, they are advised to complete MCA to give themselves career wise push. In this age of computers and every thing digitized, knowledge about machines is very important. It gives the person a distinct advantage over the others.

Eligibility Criteria

The candidate should have passed 10+2 examination with at least 50% marks in aggregate (45% in case of SC/ST and OBC candidates) in any stream.

Duration of the Course : The BCA course is of three years duration. Each year is approximately 10 months (minimum 150 working days) duration.

Medium of Instruction : The medium of instruction and examination is English.

Objectives :

- Providing an in-depth understanding and experience with computer systems.
- Developing creative and analytical skills that provide a basis for technological problem solving.
- Equipping students to handle multi-tasking situations.
- BCA is catering to the need of students aspiring to excel in the field of computers. It was started in 2007-08 session as an interdisciplinary programme. In this

programme, besides computer, a student gets diversified knowledge on Management, Operations Management and Personality Development and Communication Skills etc. The course provide a sound academic base from which an advanced career in Computer Application can be developed. These graduates can start their career as a Junior Programmer and get promoted to the post of Senior Programmers & Project Managers in the IT Sector.

Future Prospects

Students have a bright future in the Computer and IT field; they could take up jobs as Programmers and grow to become project managers. A post graduation in the relevant field is always preferred.

These undergraduate courses are the pre-qualification for professionals heading for smart career in the IT field, which measures upto international standards. After completing these programmes one can do higher studies such as MCA, MBA etc., in any UGC recognized universities or in any other reputed institution in India or abroad or they can corporate for any other technical job.

Job Potential

There is tremendous scope for employment in Industries and Research Organization, within our country and abroad. Indian Industry has reported very rapid growth in this area and graduates are needed in large numbers. Some of these areas are Software Development, Network Administration, Hardware & System Maintenance etc.

"उठो जागो और तब तक मत रूकों
जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो"

Post Graduate Courses
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.ए.)

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन की सुविधा है -

क्र.सं.	विषय	कुल स्थान
1.	अंग्रेजी साहित्य	40
2.	हिन्दी साहित्य	40
3.	अर्थशास्त्र	40
4.	राजनीति विज्ञान	40
5.	ग्रामीण समाजशास्त्र	40

प्रवेश योग्यता : स्नातक (10+2+3) स्तर पर न्यूनतम 48 प्रतिशत अंक अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश योग्य हैं।

आरक्षण : अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार।

नोट : स्नातकोत्तर कला में 10 विद्यार्थी से कम आवेदन होने पर उनकी फीस लौटा दी जायेगी व प्रवेश निरस्त माना जायेगा।

M.Sc. (CBCS) System

Choice Based Credit System is one of the best accepted student centric educational reforms. A student is provided with an academically rich, highly flexible learning system blended with abundant provision for skill practice and activity orientation that he/she could learn in depth without sacrificing his/her creativity. A student can exercise, the option to decide his/her own pace of learning - slow, normal or accelerated plan and sequence his/her choice of paper, learn to face challenges through term work / project work and may venture out to acquire extra knowledge and proficiency through add-on facilities. The great advantage is that the learning process is made continuous learner-centric and designed to recognize the capability and talent of a student. CBCS is a process of evolution of educational reforms that would yield the result in subsequent years and after a few cycles of its implementation.

Choice based credit system will be implemented in all subjects of M.Sc. (Semester).

Courses by providing following categories of courses.

(a) Compulsory Core Courses : A course which has to be studied compulsorily as a part of core requirement so as to get PG degree in a said discipline of study. Average 18 Credits/Semester will be offered from the Department.

(b) Elective Courses : A course that supports / strengthens the core compulsory. For PG Course : Average : 5 credits/semester from department or from other departments.

(c) Skill sources : PG Level Skill Courses : Average 2 credits/semester. Evaluation Process : Credits cannot be awarded unless :

(i) a student attends a minimum of 75% attendance in each course.

(ii) 36% marks are required to obtain pass grade in both internal and external assessment.

M.Sc. (Maths)

Vidya Bhawan Rural Institute has introduced P.G. course in Maths in year 2004.

Eligibility : Undergraduate in Science with Maths subject (10+2+3) with minimum 50% overall or 55% in Maths. ST/SC/OBC are eligible at minimum marks in qualifying exams.

Seats : 20

Reservation : Reservation for ST/SC/OBC as per the Govt. rules.

M.Sc. (Chemistry)

(i) Analytical Chemistry

Vidya Bhawan Rural Institute, in keeping with its dynamic and innovative approach, has introduced a job-oriented course M.Sc. Analytical Chemistry in the year 2002 to produce professionals in the field of Chemistry.

Analytical Chemistry has emerged as an important independent branch mainly because of the development of analytical research. The present world scenario is highly competitive. Faster techniques and accuracy of results are the main criteria of any analysis. This course is designed to provide students an opportunity in chemical industries.

(ii) Organic Chemistry

Salient Features :

(1) Newly constructed laboratory equipped with latest instruments such as spectrophotometer (with microprocessor), Polarograph, Flame Photometer, Karl Fisher Titrator, Colorimeter etc.

(2) Qualified staff, well-versed with latest techniques & methods.

(3) Industrial Tour.

(4) Regular Seminars & Lectures from renowned Professors.

(5) Well stocked library with standard books related to the subject.

Eligibility : Science Graduate (10+2+3) having minimum 50% marks in aggregate or 55% marks in Chemistry. SC/ST/OBC students are eligible at minimum pass marks in qualifying exam.

No. of Seats :

Analytical Chemistry - 20 (19+1 Reserved for VB staff ward)

Organic Chemistry - 20 (19+1 Reserved for VB staff ward)

Admission in organic chemistry (Subject specialization) is merit based. It is based on the marks obtained in M.Sc. previous exam by applicant.

Note : In case admission is less than 10 then their fees will be refunded.

कौशल विकास क्षमता संवर्धन प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम
SKILL DEVELOPMENT CERTIFICATE PROGRAMME

महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के समस्त नियमित विद्यार्थियों को सत्र 2022-23 से निम्नलिखित प्रमाण पत्रों में से किसी एक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम को प्रथम वर्ष के साथ करना अनिवार्य होगा -

1. Certificate course in YOGA.
2. Certificate course in English Spoken & Personalty Development.
3. Certificate course in Website Development.
4. Certificate course in Rural Extension & Management.
5. Certificate course in Retail Management.

- उक्त पाठ्यक्रम हेतु विद्यार्थियों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
- विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
- पाठ्यक्रम की अवधि एक शैक्षणिक सत्र (6 माह) की होगी।
- पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा प्रमाण-पत्र देय होगा। साथ ही उनको द्वितीय वर्ष के शुल्क से रु. 500 रियायत मिलेगी।
- विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न करने पर निम्नानुसार ग्रेड देय होगा -

A+	-	85% or Above
A	-	70 - 84%
B	-	60 - 69%
C	-	50 - 59%
D	-	40 - 49%

- 40 प्रतिशत से कम वाले विद्यार्थी को प्रमाण-पत्र देय नहीं होगा।
- उक्त अंकों में आन्तरिक मूल्यांकन, उपस्थिति, फील्ड वर्क, समस्त कार्य एवं मुख्य परीक्षा के अंक सम्मिलित होंगे।
- न्यूनतम उपस्थिति 60 प्रतिशत अनिवार्य होगी।

विद्यावाचस्पति

Research Guide Approved by MLSU

	Name of Guide	Department
1.	Dr. Sushma Jain	Zoology
2.	Dr. Anita Jain	Botany
3.	Dr. Rehana Khanam	Chemistry
4.	Dr. Manoj Rajguru	Political Science
5.	Dr. Sameer Vyas	History
6.	Dr. Shri Ram Arya	Sociology
7.	Dr. Neeru Shrimali	Physical Education

शिक्षा
सबसे शक्तिशाली हथियार है
जिसका उपयोग आप
दुनिया को बदलने
के लिए कर सकते हैं !

प्रवेश नियम एवं प्रक्रिया
Admission Rules and Procedures

(क) सामान्य सूचनाएँ (General Informations)

I. ग्रीष्मकाल के पश्चात् महाविद्यालय का शिक्षण कार्य राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रारम्भ होगा।

II. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रमाण-पत्रों सहित प्रवेश की घोषित तिथि तक अथवा उसके पूर्व महाविद्यालय के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न होने वाले प्रमाण-पत्रों की सूची आवेदन-प्रपत्र में दी गई है। अपूर्ण आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

III. विभिन्न कक्षाओं के लिए प्रवेश-सूचियाँ, प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम तथा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय सूचना पट्ट पर यथासमय लगा दी जाएगी। आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने प्रवेश की जानकारी हेतु महाविद्यालय सूचना पट्ट तथा महाविद्यालय की Website पर देखते रहें। इस सम्बन्ध में डाक द्वारा कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

IV. एक बार जमा कराया गया शुल्क इस विवरणिका में दिए गए प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं दिया जाएगा।

(ख) सामान्य नियम (General Rules)

I. महाविद्यालय में सभी कक्षाओं में सभी नये प्रवेश 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर दिये जायेंगे।

II. एक से अधिक उपाधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदक विद्यार्थी किसी भी एक उपाधि/पाठ्यक्रम जिसमें वह अध्ययन करना चाहता है, के बारे में प्रवेश शुल्क जमा कराने की तिथि व व्यक्तिगत परामर्श (Counselling) में निश्चित करना अनिवार्य होगा और दूसरे प्रवेश आवेदन को रद्द करना होगा अन्यथा उसे कोई भी शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा।

III. राजस्थान राज्य के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु तभी योग्य समझा जाएगा जब अर्हक परीक्षा में उनके प्राप्तांकों का प्रतिशत 60 प्रतिशत (प्रथम श्रेणी) से कम न हो तथा उनकी उपाधि को इस विश्वविद्यालय की उपाधि के समकक्ष माना गया हो किन्तु जिन बाहर के विद्यार्थियों ने अर्हक परीक्षा इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है उन पर एवं राजस्थान के मूल निवासी का सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र देने पर यह नियम लागू नहीं होगा। वे उच्चतर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंकों पर प्रवेश योग्य माने जायेंगे, यदि उनका नाम योग्यता क्रम में आता हो।

IV. प्रथम वर्ष बी.कॉम./बी.ए. के वे स्वयंपाठी विद्यार्थी जिन्होंने 50 प्रतिशत अथवा अधिक अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उन्हें द्वितीय वर्ष में नियमित कक्षा में सीटों की रिक्तता होने पर प्रवेश दिया जाएगा।

टिप्पणियाँ :

1. राज्य के समस्त योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों के पश्चात् कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो 60 प्रतिशत से कम प्राप्तांकों वाले राजस्थान के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है, यदि वे न्यूनतम योग्यता मानदण्ड पूरा करते हों।

2. केन्द्र सरकार/राजस्थान राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों के उदयपुर स्थानान्तरित होने के अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् उदयपुर बस जाने पर उनके बच्चों/आश्रितों को प्रवेश के मामले में स्थानीय विद्यार्थियों के समकक्ष माना जाएगा। यह नियम केवल स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष तक ही लागू होगा।

3. केन्द्र सरकार/राजस्थान राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों के उदयपुर स्थानान्तरित होने के अलावा किसी भी विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में नियमित/स्वयंपाठी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी को प्रथम वर्ष के विश्वविद्यालय के अपूर्ण पाठ्यक्रम में भी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। द्वितीय वर्ष में प्रवेश उपलब्ध विषय ग्रुप/समूहों के अनुसार ही दिया जाएगा। इन विषय ग्रुप/समूहों में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की कोई भी अपूर्णता उसे प्रथम वर्ष की परीक्षा देकर पूर्ण करनी होगी।

4. यदि किसी सैनिक अधिकारी की नियुक्ति 'कुटुम्ब-विहीन स्थान' (Non-Family Posting) पर होती है तथा उसके कुटुम्ब को राजस्थान में आवास दिया जाता है तो उसे राजस्थान में उपस्थित कर्मचारी के समकक्ष माना जाएगा।

5. (अ) किसी भी अनुत्तीर्ण छात्र को उसी कक्षा में अथवा उसी विषय में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी कारण से महाविद्यालय में एक बार प्रवेश लेकर छोड़ने पर अगले सत्र में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी पाठ्यक्रम में लगातार दो वार्षिक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो तो उसे उसी पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी भी कारण से परीक्षा का फार्म नहीं भरता है अथवा परीक्षा में नहीं बैठता है अथवा उपस्थिति की न्यूनतम आवश्यकता पूरी न होने के कारण परीक्षा में नहीं बैठ पाता है तो उसे अनुत्तीर्ण की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसे श्रेणी के छात्र आगामी सत्र में एक्स-स्टूडेन्ट के रूप में परीक्षा दे सकेंगे। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में केवल वे छात्र ही एक्स-स्टूडेन्ट के रूप में परीक्षा दे सकेंगे जिन्होंने पिछले वर्ष में उपर्युक्त कक्षाओं में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिया हो और उपर्युक्त वर्णित किसी कारणवश परीक्षा में नहीं बैठ पाए हों।

   (ब) स्नातक/स्नातकोत्तर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की किसी भी कक्षा में लगातार तीन अवसर प्रदान किये जायेंगे, जिनमें अनुत्तीर्ण होने पर पुनः उसी कक्षा में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं ऐसे विद्यार्थी की उस पाठ्यक्रम की पात्रता समाप्त कर दी जाएगी। उसे पुनः पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने की ही अनुमति दी जा सकेगी। तीन अवसर में विद्यार्थी के परीक्षा में अनुपस्थित होने वाले वर्ष की भी गणना की जाएगी।

(स) जो विद्यार्थी प्रथम वर्ष एम.ए./एम.एससी. में प्रवेश चाहते हैं किन्तु उन्होंने 2022 में आयोजित अर्हक परीक्षा पास करने के बजाय उससे पूर्व आयोजित परीक्षा पास की है तथा उनके अध्ययन की निरन्तरता में अंतराल (गेप) आ गया है, ऐसे प्रवेशार्थियों को 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित शपथ पत्र (Affidavit) देना होगा कि उन्होंने अंतराल के वर्ष/वर्षों में क्या किया तथा वे अनुत्तीर्ण छात्र नहीं हैं।

6. स्नातक स्तरीय कक्षा में प्रवेश हेतु किसी विद्यार्थी को, जिसे विश्वविद्यालय/बोर्ड की पूरक परीक्षा देनी है उस विषय में जिसमें पूरक परीक्षा देनी है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक देकर उसकी योग्यता निर्धारित कर स्थान रिक्त होने के अन्त में अस्थायी प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश की अन्य प्रक्रिया उसे पूरी करनी होगी।

7. यदि किसी विद्यार्थी को तृतीय वर्ष की पूरक परीक्षा में बैठना है तो उसे सामान्यतया स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश योग्य नहीं माना जाएगा तथापि यदि समस्त विद्यार्थियों के प्रवेश के पश्चात् कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो उसे केवल एम.ए. कक्षा में प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जिस विषय में विद्यार्थी को पूरक परीक्षा देनी है उसके न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जोड़कर योग्यता निर्धारण किया जाएगा, यदि वह न्यूनतम प्रवेश योग्यता रखता हो। एम.एससी. स्तर पर पूरक परीक्षा के योग्य घोषित विद्यार्थी प्रवेश योग्य नहीं होंगे।

8. किसी भी विद्यार्थी को आवश्यक न्यूनतम योग्यता से एक भी अंक कम होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ग) प्रवेश प्रक्रिया

महाविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाएँ होंगी -

1. **प्रवेश सम्बन्धी अधिसूचना** (Admission Notification)

प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरम्भ होने के पूर्व प्रवेश सम्बन्धी अधिसूचना द्वारा महाविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित करेंगे। अधिसूचना में विभिन्न पाठ्यक्रम, आवेदन पत्र देने की अंतिम तिथि एवं आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि आदि के सम्बन्ध में सूचना रहेगी। अधिसूचना की प्रतियाँ महाविद्यालय/विभागों के सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी।

2. **प्रवेशार्थी आवेदन-पत्रों का वितरण** (Distribution of Application Forms)

आवेदन विद्यार्थी को महाविद्यालय वेबसाईट पर दिये गए लिंक से ऑनलाईन करना होगा तत्पश्चात् प्राप्त आवेदन फॉर्म प्रिन्ट आउट मय रसीद महाविद्यालय में जमा करवाना होगा। तकनीकी दुविधा होने पर कुछ विशेष परिस्थिति में ही ऑफलाईन आवेदन पत्र महाविद्यालय में 200/- रुपये देकर प्राप्त करें एवं भरकर अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में जमा करवाएँ व रसीद प्राप्त करें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम प्रवेश सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।

3. **आवेदन पत्र देने की अंतिम तिथि** (Last Date of Submitting Application Forms)

पाठ्यक्रमों में नवीन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र देने की अंतिम तिथि विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कक्षाओं के लिए

महाविद्यालय विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक देखें। विशेष परिस्थितियों में अथवा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रमों में कुछ स्थान रिक्त रहने की स्थिति में आवेदन पत्र देने की अंतिम तिथि बढ़ाई जा सकती है।

4. **प्रवेश अयोग्य विद्यार्थी** (Candidates not eligible for Admission)

निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थी महाविद्यालय के किन्हीं भी विभागों में प्रवेश हेतु योग्य नहीं होंगे।

(I) वे आवेदक जिनके विरुद्ध महाविद्यालय के सक्षम अधिकारी, शिक्षक अथवा अन्य कर्मचारी ने पुलिस में अधिकृत रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई हो और उन्हें उसके कारण सजा हुई हो या किसी अन्य प्रकार दण्डित किया गया हो।

(II) वे आवेदक, जो किसी फौजदारी मुकदमे में दोषी पाए गए हों अथवा जो न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किये गये हों या जिन पर न्यायालय में मुकदमा चलता रहा हो।

(III) वे आवेदक, जिन्होंने सम्बन्धित प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा उससे पूर्व महाविद्यालय के अध्यापक/अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध दुर्व्यवहार किया हो तथा जिन्होंने परीक्षा में अनुचित साधन आदि का प्रयोग किया हो अथवा जिन्हें महाविद्यालय में प्रवेश से वर्जित किया गया हो/या अन्य प्रकार से दण्डित किया गया हो।

(IV) वे आवेदक, जिन्होंने संतापन (Ragging) जैसी घृणित, जघन्य एवं अमानवीय गतिविधियों में भाग लिया हो तथा जिन्हें राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 3/21/शिक्षा ग्रुप, 111/83, दिनांक 3 जुलाई, 1984 के अनुसार दण्डित किया गया हो।

(V) यदि किसी आवेदक की शारीरिक अक्षमता किसी विशिष्ट विषय की पढ़ाई-लिखाई में बाधक हो सकती है तो उस विषय में उसे प्रवेश देने से मना किया जा सकता है।

5. **आवेदकों को निर्देश** (Instructions for Applicants)

(I) सभी प्रविष्टियाँ आवेदक द्वारा स्वयं भरी जानी चाहिये तथा सभी दृष्टियों से पूर्ण होनी चाहिए। यदि कोई प्रविष्टि लागू नहीं हो तो 'लागू नहीं' लिखिए।

(II) सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदन-पत्र उसमें बताए गए प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियों सहित महाविद्यालय कार्यालय में व्यक्तिगत या डाक द्वारा निर्धारित अंतिम दिनांक तक पहुँच जाना चाहिए।

(III) नाम, पिता का नाम एवं जन्मतिथि माध्यमिक शिक्षा प्रमाण-पत्र के अनुसार होनी चाहिए।

(IV) निवास का पूर्ण पता, फोन नम्बर/मोबाईल नम्बर, ईमेल आई.डी. एवं पिन कोड फार्म में सही दर्ज कराएं। जिन छात्रों का ईमेल आई.डी. नहीं है उन्हें आवेदन करने से पूर्व आवश्यक रूप से अपना ईमेल आई.डी. बनवाना अनिवार्य है। यदि पते या फोन नम्बर में परिवर्तन हो तो कार्यालय में तुरन्त

सूचित करें।

(V) परिचय पत्र प्रवेश की कार्यवाही पूरी होने पर दिया जाएगा।

(VI) गलत घोषणा एवं प्रमाणपत्र देने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

6. **आवेदन-पत्र के साथ लाए जाने वाले प्रपत्र** (Documents to be brought with Application Form)

प्रत्येक नवीन प्रवेश के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपना रंगीन फोटो एवं निम्नलिखित प्रपत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतियाँ साथ लानी होगी।

(I) अर्हक परीक्षा/परीक्षाओं की अंकतालिका/तालिकाएँ।स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिकाओं की सत्यापित प्रतिलिपियाँ लगाएँ।

(II) अंतिम स्थान, जिसमें पढ़ाई की हो, के प्रमुख से स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र।

(III) अंतिम स्थान, जिसमें पढ़ाई की हो, के प्रमुख से चरित्र प्रमाण-पत्र।

(IV) उच्च माध्यमिक विद्यालय/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण-पत्र, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि का उल्लेख हो।

(V) यदि आवेदक, शुल्क में रियायत का पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

(VI) यदि आवेदक आरक्षित स्थानों पर प्रवेशका पात्र है, तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

(VII) रियायत अथवा योग्यता निर्धारण हेतु दिए बोनस अंक का यदि आवेदक पात्र है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

(VIII) अंतिम अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं आवेदन पत्र देने में एक अथवा उससे अधिक वर्षों का अंतर हो तो अंतर के सम्बन्ध में वांछित स्पष्टीकरण दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने अंतराल के वर्ष/वर्षों में क्या किया तथा वह अनुत्तीर्ण छात्र नहीं हैं।

(IX) आवेदक एवं उसके माता-पिता/ अभिभावक द्वारा इस आशय की घोषणा कि आवेदक नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहेगा तथा ऐसा कोई पूर्णकालिक व्यवसाय ग्रहण नहीं करेगा जिसमें उसके नियमित अध्ययन में बाधा पड़े। फार्म के साथ घोशणा पत्र संलग्न जरूर करें।

टिप्पणियाँ :

(I) यदि आवेदक उपर्युक्त प्रपत्रों में से प्रवेश की आवश्यकतानुसार किसी प्रपत्र को उपलब्ध करने में असमर्थ रहता है तो उसका आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा। काउंसलिंग के समय मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा।

(II) आवेदन-पत्र के साथ नहीं दिया गया योग्यता एवं आरक्षण आदि को प्रमाणित करने वाला प्रपत्र बाद में स्वीकार नहीं होगा एवं आरक्षण/बोनस अंक/शुल्क में रियायत के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र भरते समय प्रार्थी ने यदि आरक्षण, रियायत अथवा अतिरिक्त अंक भार नहीं चाहा तो उसे कोई आरक्षण, रियायत एवं अंक भार नहीं दिया जाएगा।

(III) प्रवेश समिति आवेदन पत्र के साथ दिए गए प्रपत्र के आधार पर ही योग्यता का निर्धारण करेगी। शुल्क निर्धारण हेतु आवेदक माता-पिता/अभिभावक की आय स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे।

7. **प्रवेश का निरस्तीकरण** (Cancellation of Admission)

अधोलिखित परिस्थितियों में आवेदकों का प्रवेश संस्थाध्यक्ष द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है।

(I) आवेदक द्वारा किसी महत्त्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया हो एवं गलत जानकारी/तथ्य दिए गए हों।

(II) यदि आवेदन-पत्र पर माता या पिता अथवा अभिभावक आदि के जाली हस्ताक्षर किए गए हों।

(III) यदि जाली प्रपत्र/प्रमाण-पत्र संलग्न किए गए हों।

(IV) यदि आवेदक पूरक परीक्षा या अन्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए जिसके आधार पर उसे आगे की कक्षा में अस्थाई प्रवेश दे दिया गया हो।

(V) यदि आवेदक को संस्था/न्यायालय द्वारा किसी अनुशासनहीनता या अपराध के लिए दण्डित किया गया हो।

8. **उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन पर उत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रवेश** (Admission of Candidates qualifying on Re-evaluation of Answer-book)

किसी नियमित विद्यार्थी की उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में उसे आगे की कक्षा में तभी प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र. देने की अनुमति दी जा सकती है, यदि वह पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम घोषित होने के दिनांक से 10 दिन के अंदर आवेदन पत्र दें। ऐसे विद्यार्थी के आवेदन पत्र पर तभी विचार किया जाएगा यदि जिस कक्षा में वह प्रवेश का इच्छुक है, उसमें स्थान रिक्त हो एवं उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत योग्यता क्रम में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के प्रतिशत से कम न हो। प्रवेश से वंचित विद्यार्थी स्वयंपाठी के रूप में नियमानुसार अपना अध्ययन कर सकेंगे।

9. **प्रवेश वर्जित**

नियमानुसार महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों को सम्बन्धित महाविद्यालयों में उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में प्रवेश देय नहीं है।

10. **प्रवेश सम्बन्धी सामान्य टिप्पणियाँ**

(I) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण नियम राज्य सरकार की प्रवेश नीति के निर्देशानुसार लागू रहेंगे।

(II) अभ्यर्थी जब तक माइग्रेशन तथा स्थानान्तरण-पत्र (टी.सी.)की मूल प्रति नहीं दे देंगे, तब तक उनका प्रवेश अस्थाई माना जायेगा।

(III) सभी संकायों में प्रवेश सुखाड़िया विश्वविद्यालय में स्वीकृत होने पर ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

(IV) महाविद्यालय में प्रवेश राज्य सरकार की प्रवेश नीति सत्र 2022-23 एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नियमानुसार देय है।

एक अच्छी पुस्तक
हजार दोस्तों के बराबर होती है
जबकि एक अच्छा दोस्त
एक लाइब्रेरी के बराबर होता है।

नोट : प्रवेश संबंधी सभी नियम कॉलेज शिक्षा निदेशालय के अनुसार मान्य होंगे।

विद्यार्थी आचार संहिता एवं नियम

1. इंस्टीट्यूट में अनुपस्थित रहने के लिए विद्यार्थी को पिता अथवा अभिभावक द्वारा अनुमोदित आवेदन-पत्र देना होता है। पूर्व अनुमति प्राप्त होने पर ही छात्र अवकाश पर रह सकता है। बिना अनुमति प्राप्त किये संस्था से दीर्घ अवधि तक अनुपस्थित रहने वाले छात्र का नाम हटा दिया जायेगा। निर्धारित शुल्क देने पर ही उसे महाविद्यालय में पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा।

2. संस्था द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में विद्यार्थी को संस्था से अलग किया जा सकता है, यदि -

   (I) विद्यार्थी किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए।

   (II) निर्धारित समय में शुल्क जमा न कराए या शुल्क जमा कराने में निरन्तर अनियमितता करे।

   (III) छेड़छाड़ एवं रैगिंग जैसे कार्यों में लिप्त हो।

   (IV) संस्था में बिना पूर्व अनुमति के दो सप्ताह तक अनुपस्थित रहे।

   (V) निदेशक अथवा प्राध्यापकों की आज्ञा का उल्लंघन करे।

   (VI) अन्य विद्यार्थियों पर कुप्रभाव डाले अथवा संस्था का वातावरण दूषित करे।

   (VII) संस्था/महाविद्यालय की सम्पत्ति को किसी प्रकार से नुकसान पहुँचाए।

3. विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का पालन करना होगा। नियमों की अनुपालना न करने की स्थिति में उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है अथवा उसे संस्था छोड़ने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

4. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों में छात्रों की सैद्धान्तिक कक्षाओं तथा प्रायोगिक कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

5. ग्राम सेवा, ग्राम विकास शिविर तथा ग्राम्य जीवन से सम्पर्क प्राप्त करने के लिए आयोजित कार्यक्रमों में प्रत्येक विद्यार्थी को सम्मिलित होना आवश्यक है।

6. संस्था छोड़ने वाले विद्यार्थी को 100/- रुपये जमा कराने पर स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) प्राप्त हो सकेगा। यदि किन्हीं कारणों से विद्यार्थी को संस्था से निष्कासित किया जाता है तो विद्यार्थी के नाम पर बाकी निकलने वाला शुल्क जमा कराने का उत्तरदायित्व अभिभावक का होगा।

7. यदि विद्यार्थी सैद्धान्तिक (Theory) कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसे प्रायोगिक कक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

8. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित रूप से सूचना पट्ट देखें। सूचना पट्ट न देखने से होने वाली किसी सम्भावित क्षति के लिए विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

9. यदि किसी विद्यार्थी के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई हो या वह न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो तो उसे महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रवेश के बाद भी इस दृष्टि से दोषी पाये जाने वाले विद्यार्थी को महाविद्यालय से निलम्बित/निष्कासित किया जा सकता है।

10. महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सभी विद्यार्थियों का उपस्थित रहना आवश्यक है। इन आयोजनों में अनुशासन बनाए रखना विद्यार्थियों का कर्तव्य है।

11. महाविद्यालय की दीवारों व अन्य स्थानों को गंदा करना, उन पर लिखना, पोस्टर आदि चिपकाना अनुशासनहीनता माना जायेगा एवं ऐसा करने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

12. महाविद्यालय की सम्पत्ति को हानि पहुँचाने पर छात्र/छात्राओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं उसे/उन्हें अर्थदण्ड भी दिया जायेगा।

13. महाविद्यालय वर्तमान और भावी पीढ़ी की धरोहर है। इसकी गरिमा और मर्यादा बनाये रखना सभी छात्र-छात्राओं का पुनीत कर्तव्य है।

14. महाविद्यालय एवं छात्रावास में धूम्रपान, नशा आदि पूर्णतः वर्जित है।

15. प्रवेशित विद्यार्थी खेल, रॉवर, एन.एस.एस. एवं महाविद्यालय गतिविधियों में अनुशासन बनाए रखेगा एवं महाविद्यालय की गरीमा को नुकसान पहुँचाने वाला कार्य नहीं करेगा।

16. प्रत्येक छात्र को अपने वर्तमान फोटोग्राफ के साथ कॉलेज द्वारा जारी वैध पहचान पत्र (ID Card) साथ रखना होगा जिस पर महाविद्यालय निदेशक के हस्ताक्षर होंगे।

17. रैगिंग एक अपराध है। महाविद्याल परिसर में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है

18. कॉलेज परिसर और क्लास रूम सीसीटीवी के अधीन है अतः सभी को कॉलेज परिसर/कक्षा में अनुशासनात्मक ढंग से रहना होगा।

19. बिना अनुमति के कक्षा तथा पुस्तकालय में मोबाईल फोन का उपयोग वर्जित है।

20. कॉलेज परिसर या कक्षा में किसी भी मित्र या किसी बाहरी व्यक्ति को छात्रों के साथ अनुमति नहीं दी जाएगी।

21. छात्रों को कॉलेज परिसर या उसके बाहर कुछ भी ऐसा करने से मना किया जाता है जो इसके प्रशासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करे या इसकी सार्वजनिक छवि को प्रभावित करें।

22. महाविद्यालय में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई बाहरी प्रभाव (राजनीतिक या अन्य) को नहीं लाया जाना चाहिए।

23. प्रत्येक छात्र को अपना वाहन पार्किंग स्थल पर ही रखना अनिवार्य है।

24. कॉलेज के रिकार्ड एवं दस्तावेजों का अनाधिकृत उपयोग। जालसाजी या कपटपूर्ण संचार (कागज या इलेक्ट्रानिक मेल) का अनाधिकृत उपयोग निशिद्ध है।

परीक्षा में व्यवहार :

परीक्षा में नकल करने, परीक्षा का बहिष्कार करने, उत्तरपुस्तिका फाड़ देने या लेकर भाग जाने, प्राध्यापकों से अभद्र व्यवहार करने अथवा परीक्षा में अन्य अवैध तरीके अपनाने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

परिचय-पत्र :

महाविद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को अपने साथ परिचय-पत्र रखना आवश्यक है। परिचय-पत्र खो जाने की स्थिति में 100/- रुपये जमा करवाकर नया (डुप्लीकेट) परिचय-पत्र दिया जा सकेगा।

पुस्तकालय हेतु आचार संहिता

1. महाविद्यालय का प्रत्येक व्याख्याता व नियमित छात्र पुस्तकालय की सदस्यता के लिए पात्र है।

2. पुस्तकालय का समय प्रातः 9.00 बजे से 4.00 बजे तक रहेगा।

3. पुस्तकालय में व्यक्तिगत सामान ले जाने की अनुमति नहीं है।

4. पुस्तकालय में दुर्व्यवहार करने पर सदस्यता रद्द कर दी जाएगी व सम्बन्धित छात्र के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

5. पुस्तकें समय पर लौटाने तथा सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी छात्र की है अन्यथा उसे अर्थदण्ड दिया जायेगा।

6. पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं पर कुछ लिखना, उनमें से पृष्ठ फाड़ना अथवा उन्हें चुराना दण्डनीय अपराध है।

7. पुस्तकालय में छात्र शान्ति बनाये रखेंगे एवं मोबाईल का उपयोग नहीं करेंगे।

8. सभी छात्रों को पुस्तकालय प्रवेश द्वार पर उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करने होंगे।

9. पुस्तकालय में Internet Surfing Room में Computer & Internet का उपयोग सिर्फ शैक्षणिक कार्यो हेतु किया जा सकता है YouTube, Facebook का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।

10. प्रत्येक छात्र को दो कार्ड पर दो ही पुस्तकें दी जाती है। छात्र अपने पुस्तकालय कार्ड किसी अन्य छात्र को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

11. संदर्भ पुस्तकों का अध्ययन पुस्तकालय भवन में ही किया जा सकेगा।

12. अंतिम परीक्षा समाप्त होते ही सात दिनों में बुक बैंक की पुस्तकें लौटाना अनिवार्य है। अन्यथा 7 दिनों के बाद 200/- रुपये विलम्ब शुल्क देना होगा।

13. कांउटर छोड़ने से पहले प्रत्येक छात्र स्वयं को संतुष्ट कर ले कि जो पुस्तक उसने इश्यु करवायी है वो अच्छी स्थिति में है या नहीं अन्यथा छात्र को जारी की गई पुस्तकों के किसी भी नुकसान का वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

14. छात्र द्वारा उधार (Issue) ली गई पुस्तक नियत तिथी (अवधि) को या उससे पहले लौटा दी जाए यदि नही तो प्रतिदिन 1 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। यदि नियत तिथी को अवकाश है तो अगले कार्य दिवस पर पुस्तक वापिस दी जा सकती है।

15. सभी अंतिम वर्ष के छात्रों की विश्वविद्यालय की परीक्षा के पूर्व अपना पुस्तकालय कार्ड व पुस्तक वापिस जमा करवाना होगा अन्यथा छव कनमे No Dues Certificate नहीं दिया जाएगा।

16. यदि कोई छात्र/व्याख्याता कोई पुस्तक खो देता है तो वह पुस्तक (उसी शीर्षक, लेखक व संस्करण) की बदले में देगा या पुस्तक की वर्तमान लागत मुल्य का भुगतान करेगा।

17. कोई संविदा या नियमित व्याख्याता महाविद्यालय की सेवाओं से त्यागपत्र देता है तब उसे पुस्तकालय की सभी पुस्तके वापस जमा करवा कर No Dues लेना अनिवार्य होगा।

गणवेश (यूनिफार्म)

विद्याभवन रूरल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों के लिए सत्र 2022-23 में लागू होने वाली ड्रेस कोड (गणवेश) का विवरण निम्न प्रकार है।

1. छात्रों के लिए : ट्राउजर/जीन्स/पेन्ट - गहरा नीला
शर्ट/कमीज-सफेद

2. छात्राओं के लिए : शर्ट/कमीज-सफेद
ट्राउजर/पेन्ट/जीन्स-गहरा नीला
कुर्ता-गहरा नीला
सलवार/लेंगिग एवं दुपट्टा-सफेद

शिक्षा हमारे समाज
की आत्मा है
जो कि एक पीढ़ी से
दूसरी पीढ़ी को दी जाती है

विद्यार्थियों के लिए विभिन्न सुविधाएँ एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ

पुस्तकालयः

महाविद्यालय का पुस्तकालय सुविधा सम्पन्न भवन में स्थित है। इस पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की 53029 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। खुली प्रणाली (Open Access System) के कारण प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी इच्छानुसार पुस्तकें उपलब्ध हो सकती हैं। पुस्तकालय में प्रतिवर्ष 20 पत्रिकाएँ मंगवाई जाती है।

बुक बैंकः

बुक बैंक में विभिन्न विषयों की लगभग 15656 पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग नियमानुसार किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सेवायोजना (NSS)

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाईयाँ कार्यरत हैं। इस योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय किया जाता है। इस योजना की शिक्षा, जन जागरण, श्रमदान, वृक्षारोपण आदि प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में स्वैच्छिकता के भाव विकसित किए जाते हैं। इस योजना के तहत समय-समय पर विभिन्न शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। नियमित रूप से दो वर्ष तक इस योजना में कार्य करने पर विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राजकीय नियमानुसार प्राथमिकता और बोनस अंक देने का प्रावधान है।

रोवर एव रेंजरः

महाविद्यालय में रोवर और रेंजर की एक इकाई कार्यरत है। इस गतिविधिका मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं में निःस्वार्थ भाव से कार्य करने की रुचि पैदा करना है। इस गतिविधि में भाग लेने वाले रोवर/रेंजर को राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागलेने काअवसर प्राप्त होताहै।

नियोजन एवं करियर परामर्श केन्द्र

महाविद्यालय में विद्यार्थियों को रोजगार एवं उच्च शिक्षा संबंधी जानकारी, परामर्श एवं मार्गदर्शन देने हेतु इस केन्द्र का गठन किया गया है। इस केन्द्र द्वारा छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी Campus Interview कराये जाते हैं।

खेलकूद एवं योग

महाविद्यालय में विभिन्न आउटडोर और इनडोर खेलों की व्यवस्था है। विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार इनमें भाग ले सकते हैं। चुने हुए खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भेजा जाता है।

विशेष दक्षता प्रदर्शित करने वाले खिलाड़ियों को प्रशंसा-पत्र/प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

नेचर क्लब

सन् 2017-18 में विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट में नेचर क्लब की स्थापना की गई। नेचर क्लब का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं संस्था के परे वृहत् समाज में प्रकृति एवं पर्यावरण से सम्बन्धित जागरूकता लाना है एवं इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण में संलग्न करना है। नेचर क्लब नाना प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित करता है, जैसे - नेचर वॉक द्वारा जैव विविधता की जानकारी देना, पर्वतारोहण, ऑरगेनिक फार्मिंग की जानकारी देना, पर्यावरण से सम्बन्धित समसामयिक विषयों पर वाद-विवाद, व्याख्यानमाला एवं कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना।

अन्य गतिविधियाँ

1. साहित्यिक, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ एवं इनसे सम्बद्ध आयोजन।
2. विशेष उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम।

पुरस्कार

1. अध्ययन की दृष्टि से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थीयों को गणतंत्र दिवस पर पुरस्कृत किया जाता है।
2. महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में निष्ठा एवं कर्त्तव्य परायणता के साथ भाग लेने वाले विद्यार्थी को भी पुरस्कृत करने का प्रावधान है।
3. महाविद्यालय द्वारा आयोजित क्रीड़ा, खेलकूद, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधियों में श्रेष्ठता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया जाता है।

छात्रसंघ

विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से परिचित कराने, उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास करने एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए छात्रसंघ का गठन नियमानुसार किया जायेगा। छात्रसंघ का गठन निर्धारित संविधान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा घोषित तिथि को किया जायेगा।

छात्रवृत्तियाँ

1. राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग के नियमानुसार दी जायेगी।
2. राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य छात्रवृत्तियाँ : उपर्युक्त छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त योग्य विद्यार्थियों को

राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित छात्रवृत्तियाँ भी नियमानुसार स्वीकृत होती है -

(क) श्रम निर्माण एवं कौशल छात्रवृत्ति।

(ख) मुख्यमंत्री एवं अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति।

(ग) विद्या भवन संस्थान छात्रवृत्ति।

उपरोक्त छात्रवृत्तियों में से केवल एक प्रकार की छात्रवृत्ति ही देय होगी। ये सभी प्रकार की छात्रवृत्तियाँ प्राप्त करने के **इच्छुक विद्यार्थियों को कक्षा में 75 प्रतिशत अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना तथा संस्था के नियमों का पालन करना होगा।**

अति आवश्यक सूचना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश डी 37/04 xi-A, दिनांक 26 फरवरी 2009 के अनुसार महाविद्यालय में किसी भी छात्र की रैगिंग लेना कठोर दंडनीय अपराध है। रैगिंग के अन्तर्गत प्रमुख रूप से मानसिक, शारीरिक वेदना पहुँचाना, मानवीय स्वतंत्रता और गरिमा को क्षति पहुँचाना, अभद्र भाषा का प्रयोग, असुरक्षित और भयाक्रांत करना तथा अवांछनीय चेष्टा करने के लिए बाध्य करना माना गया है। इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त विद्यार्थी को न केवल छः माह का कठोर कारावास या रु. 1,00,000/- का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिए जा सकेंगे। अपितु महाविद्यालय द्वारा दिए जाने वाले प्रमाणपत्र और उपाधि में भी उसे दी गई सजा का उल्लेख होगा। अतः महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रैगिंग जैसे अवांछनीय कार्य में लिप्त न होकर स्वयं के भविष्य का निर्माण करें।

आवश्यक : बिना पूर्व कारण बताये संस्था निदेशक सभी नियमों, सूचनाओं आदि में परिवर्तन-परिवर्द्धन एवं संशोधन करने के लिए सक्षम है। विवरणिका में उल्लेखित किसी भी नियम, परिभाषा एवं व्याख्या में निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

विवरणिका में दी गई पाठ्यक्रम संबंधी सूचनाओं एवं अकादमिक कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय के निर्देश से परिवर्तन हो सकता है, जो विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से मान्य होगा।

आप अपनी कमी को
केवल शिक्षा से
ही पुरी कर सकते है

संस्था में संचालित अध्ययन केन्द्र (IGNOU)

1. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र (2302)

दूरस्थ शिक्षा केन्द्र के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त देश के अग्रणी विश्वविद्यालय इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) इस अध्ययन केन्द्र की जनवरी 2003 में स्थापना की गई है। इस अध्ययन केन्द्र के माध्यम से विद्या भवन के मूल उद्देश्य - उच्च शिक्षा को ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के सुदूर इलाके में रहने वाले ग्रामीणों को उनके दरवाजे पर शिक्षा उपलब्ध कराने की पूर्ति की जा रही है। इग्नू द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों के कुल 72 पाठ्यक्रमों में अध्ययन की सुविधा है। महाविद्यालय में स्थापित अध्ययन केन्द्र द्वारा प्रबन्ध, कम्प्यूटर पाठ्यक्रम (BCA/MCA/CIT), पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, शिक्षा, पर्यटन, पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, कला, वाणिज्य, विज्ञान स्नातक एवं स्नातक पूर्व (बी.पी.पी.) आदि 40 से अधिक पाठ्यक्रमों के अध्ययन की सुविधा है। इग्नू द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमों के अन्तर्गत निर्धारित सीमा पर होता है। इग्नू के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के बाद अध्ययन केन्द्र द्वारा परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थियों के सत्रीय कार्य को स्वीकार कर उनका मूल्यांकन कराया जाता है एवं जून एवं दिसम्बर में परीक्षाएँ आयोजित की जाती है।

डॉ. लक्ष्मण सिंह
समन्वयक

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

प्रशासन

1.	**कुलपति**	**0294-2470597**
2.	**कुल सचिव**	**0294-2470166**
3.	**परीक्षा नियंत्रक**	**0294-2811731**

सत्र की गतिविधियाँ एवं अवकाश

1. शैक्षणिक सत्र आरम्भ
2. अध्यापन कार्य

   (अ) स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध)

   (ब) स्नातक प्रथम वर्ष

   (स) स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध
3. छात्रसंघ चुनाव
4. छात्रसंघ का उद्घाटन
5. कार्यभार भेजने की अंतिम तिथि
6. नियमित छात्रों का परीक्षा फार्म भरना
7. पूरक परीक्षाओं की समाप्ति
8. दशहरा अवकाश
9. विश्वविद्यालय नामांकन
10. स्वयंपाठी छात्रों द्वारा परीक्षा फार्म भरना
11. दीपावली अवकाश
12. शीतकालीन अवकाश
13. शैक्षणिक भ्रमण, अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ तथा सांस्कृतिक सप्ताह, पुरस्कार वितरण समारोह।
14. एन.एस.एस./एन.सी.सी. एवं रोवर गाईड के शिविरो का आयोजन एवं गतिविधियाँ

राज्य सरकार के निर्देशानुसार

15.	वार्षिक परीक्षाओं का प्रारम्भ (क) स्नातक स्वयंपाठी छात्रों के हेतु नियमित छात्रों हेतु (ख) स्नातकोत्तर	**विश्वविद्यालय के नियमानुसार**
16.	सत्र का अंतिम दिवस	**राज्य सरकार के निर्देशानुसार**
17.	परीक्षा परिणामों की घोषणा	
18.	नवीन सत्र प्रारम्भ	

नोट: शैक्षणिक कैलेण्डर 2022-23 कॉलेज शिक्षा निदेशालय के अनुसार मान्य एवं संचालित होगा।

टिप्पणी :

1. राज्य के किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय द्वारा एन.एस.एस./एन.सी.सी. गतिविधियों को छोड़कर कोई भी सह-शैक्षणिक अथवा शैक्षणोत्तर गतिविधियां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिनांक के पश्चात् आयोजित नहीं की जाये।
2. उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक अथवा सत्र सारणी में महाविद्यालय स्तर पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
3. समस्त प्रायोगिक परीक्षाएँ विश्वविद्यालय समय सारणी के अनुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार की जाये। प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान अन्य कक्षाएँ यथावत चलेगी।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार 180 शैक्षणिक दिवस होने आवश्यक है।

शिक्षा ही एकमात्र
रास्ता है। जिसके द्वारा
आप ज़िन्दगी के हर
पहलू को देख सकते हैं।

विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट, उदयपुर

सत्र : 2022–23

महाविद्यालय विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क का विवरण

वार्षिक शुल्क (प्रवेश के समय देय)

1. पंजीयन शुल्क: (स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के विद्यार्थियों से) **200.00**

2. शिक्षण शुल्क

बी.ए.	प्रायोगिक सहित	प्रायोगिक रहित
प्रथम वर्ष	15100	14100
द्वितीय वर्ष	13400	11900
तृतीय वर्ष	13400	11900
बी. कॉम.		
प्रथम वर्ष		14100
द्वितीय वर्ष		11900
तृतीय वर्ष		11900
बी.एस.सी. (जीव विज्ञान/गणित/कम्प्यूटर)		
प्रथम वर्ष	17100	
द्वितीय वर्ष	13400	
तृतीय वर्ष	13400	
बी.सी.ए.		
प्रथम वर्ष	15100	
द्वितीय वर्ष	13400	
तृतीय वर्ष	13400	
बी.बी.ए.		
प्रथम सेमेस्टर		7400
II, III, IV सेमेस्टर		6700
V, VI, सेमेस्टर		6300

शिक्षण शुल्क

एम.ए. (हिन्दी/अंग्रेजी/अर्थशास्त्र/राजनीति विज्ञान/ग्रामीण समाज शास्त्र)	
पूर्वार्द्ध	10900
उत्तरार्द्ध	10900

एम.एससी. (रसायन विज्ञान)	
प्रथम सेमेस्टर	14700
अन्य सेमेस्टर	13700

एम.एससी. (गणित)	
I, II सेमेस्टर	7200
III, IV सेमेस्टर	6700

3. छात्रकोष	
विद्यार्थी सभा Student Union	(प्रति वर्ष) 150
	(प्रत्येक सेमेस्टर) 75
खेल तथा क्रीड़ा शुल्क	(प्रति वर्ष) 200
	(प्रत्येक सेमेस्टर) 100
4. अवधान द्रव्य (केवल प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए) Caution Money	800
5. पुस्तकालय शुल्क	(प्रति वर्ष) 250
	(प्रत्येक सेमेस्टर) 125

सत्र : 2022–23

संकाय	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
बी.ए. (प्रयोगशाला सहित विषय)	16700	14000	14000
बी.ए. (प्रयोगशाला रहित विषय)	15700	12500	12500
बी.एससी. (जीव विज्ञान/गणित/कम्प्यूटर)	18700	14000	14000
बी.कॉम.	15700	12500	12500
बी.सी.ए.	16700	14000	14000

संकाय	पूर्वार्द्ध	उत्तरार्द्ध
एम.ए. (हिन्दी/अंग्रेजी/अर्थशास्त्र/राजनीति विज्ञान/ ग्रामीण समाज शास्त्र R.D..)	12500	11500

	प्रथम सेमेस्टर	द्वितीय सेमेस्टर	तृतीय सेमेस्टर	चतुर्थ सेमेस्टर
एम.एससी. (रसायन विज्ञान)	16000	14000	14000	14000
एम.एससी. (गणित)	8500	7500	7000	7000
	प्रथम सेमेस्टर	द्वितीय सेमेस्टर	तृतीय सेमेस्टर	चतुर्थ सेमेस्टर
बी.बी.ए.	8700	7000	7000	7000
			पांचवें सेमेस्टर	छठा सेमेस्टर
			6600	6600

नोट :

1. विश्वविद्यालय पंजीकरण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क सीधा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा लिया जायेगा।
2. स्नातक (द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष) एवं स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध/अन्य सेमेस्टर) में प्रवेश लेने वाले नये प्रवेशार्थी को 1000/- रूपये देने होंगे (800/- Caution money - अवधान द्रव्य + 200/- पंजीकरण शुल्क)।
3. CBCS विद्यार्थियों को कौशल आधारित पाठ्यक्रम के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा (विश्वविद्यालय के नियमानुसार)।
4. स्वयंपाठी विद्यार्थियों को परीक्षा फार्म जमा करवाते समय 200/- महाविद्यालय विकास शुल्क के नाम पर जमा करवाना होगा।
5. विद्या भवन के कर्मचारियों के बच्चों को शुल्क में रियायत सोसायटी के नियमानुसार प्रदान की जायेगी।
6. बीमा एवं रोवर शुल्क उक्त शुल्क में सम्मिलित हैं।
7. अवधान द्रव्य (Caution Money) संस्था छोड़ने के छह माह बाद लौटाया जा सकेगा। यह राशि संस्था छोड़ने के दो वर्ष बाद तक की अवधि में प्राप्त कर लेनी होगी अन्यथा यह 'अदेय' मान ली जाएगी।
8. सभी प्रकार के औद्योगिक एवं शैक्षणिक भ्रमण पर होने वाला व्यय छात्रों द्वारा वहन किया जायेगा।

Fee Refund Policy

The refund is applicable only for those students who have deposited full fee in single down payment.

S.N.	Percentage of refunded of Fees	Point of time notice of withdrawal of admissions is received in HEI
1	95%	15 days or more before the formally notified last date.
2	75%	Less than 15 days but more than 5 days before the formally notified last date.
3	55%	In less than 6 days before the formally notified last date.
4	45%	15 days or less after the formally notified last date.
5	0%	More than 15 days after the formally notified last date.

Exclusive of college registration Fee

Note :

1. The last date of admission will be decided by the director and admission committee in the respective sessions. Fee will be refunded by the college to the eligible student within 15 days from the date of receiving a written application from the students in this regard. The candidate is required to get signature from the director and collect the refunded Fee from the accounts branch of the college.
2. In case a student opts for payment in two installments and after first installment wants to withdraw the fee then the First installment shall not be refunded.
3. Fee once deposited will not be transferred to any other candidate. No fee exchange policy is permitted.

निदेशक

डॉ. तेजप्रकाश शर्मा
8764270893

संकाय-अध्यक्ष

डॉ लक्ष्मणसिंह राजपूत
विज्ञान संकाय
9414758109

डॉ श्रीराम आर्य
कला संकाय
9928037211

डॉ कविता अजमेरा
वाणिज्य एवं प्रबंन्ध संकाय
9289756915

वनस्पति-विज्ञान-विभाग

डॉ. अनिता जैन
विभागाध्यक्ष
9414358062

श्रीमती निशा राजदान
प्रयोगशाला सहायक
9950772006

प्राणी-विज्ञान-विभाग

डॉ. सुषमा जैन
विभागाध्यक्ष
9460401830

श्रीमती भावना लौहार
प्रयोगशाला सहायक
9214708416

रसायन-विज्ञान-विभाग

डॉ. अंजु जैन
विभागाध्यक्ष
9461659060

डॉ. दक्षा शर्मा
व्याख्याता
9829007897

डॉ. सबा खान
व्याख्याता
9929364610

डॉ. मनीष कुमार रावल
व्याख्याता
9983467299

डॉ. रेहाना खानम
व्याख्याता
8302661624

रसायन-विज्ञान-विभाग

श्रीमती कुमुद पालीवाल
प्रयोगशाला सहायक
9772236103

श्रीमती रेखा शर्मा
प्रयोगशाला सहायक
9950390047

भौतिक-विज्ञान-विभाग

डॉ. सबा खान
प्रभारी
9929364610

श्री पप्पूसिंह राजपूत
प्रयोगशाला सहायक
9166327110

गणित विभाग

डॉ. बरखा रानी त्रिपाठी
विभागाध्यक्ष
9602330440

कम्प्यूटर-विभाग

श्री सोनेश भाटिया
विभागाध्यक्ष
9413479672

डॉ लक्ष्मण सिंह राजपूत
व्याख्याता
9414758109

श्रीमती चेष्टा शर्मा
व्याख्याता
9982653090

श्री आनंद भावसार
प्रयोगशाला सहायक
8824577449

श्री महेन्द्र सिंह
प्रयोगशाला सहायक
9772009452

वाणिज्य-और-प्रबंध-संकाय

बैंकिंग एवं व्यवसायिक अर्थशास्त्र विभाग

डॉ. अनुश्री शर्मा
विभागाध्यक्ष
9929843423

व्यवसाय प्रशासन विभाग

डॉ. हर्षिता भटनागर
विभागाध्यक्ष
9251760599

डॉ. किरण असनानी
व्याख्याता
9252614433

लेखाशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग

डॉ. पिंकी सोनी
विभागाध्यक्ष
9001810977

डॉ कविता अजमेरा
व्याख्याता
9289756915

कला-संकाय

हिन्दी विभाग

डॉ. सरस्वती जोशी
विभागाध्यक्ष
6350271225

संस्कृत विभाग

डॉ. अर्चना जैन
विभागाध्यक्ष
9252196399

इतिहास विभाग

डॉ. समीर व्यास
विभागाध्यक्ष
9928264870

लोक प्रशासन विभाग

डॉ. रतनलाल सुथार
विभागाध्यक्ष
9460736154

अर्थशास्त्र विभाग

डॉ. ज्योति कंठालिया
विभागाध्यक्ष
9460449212

अंग्रेजी विभाग

श्रीमती सावित्री राव
प्रभारी
9672323400

समाजशास्त्र विभाग

डॉ. कंचन पानेरी
विभागाध्यक्ष
9875055914

डॉ श्रीराम आर्य
व्याख्याता एवं विभागाध्यक्ष आर.डी.
9928037211

भूगोल विभाग

डॉ. विकास बया
विभागाध्यक्ष
9460379174

श्रीमती अंकिता शर्मा
प्रयोगशाला सहायक
8302128438

राजनीति विज्ञान विभाग

डॉ. मनोज राजगुरु
विभागाध्यक्ष
9414685630

डॉ. विद्या मेनारिया
व्याख्याता
7976491561

शारीरिक शिक्षा

डॉ. नीरु श्रीमाली
व्याख्याता
9414471043

पुस्तकालय

श्री नरेश साहू
पुस्तकालयाध्यक्ष
9928020787

पुस्तकालय

श्री शंकरलाल खटीक
पुस्तकालय सहायक
9414825594

लेखा शाखा

श्रीमती अंकिता व्यास
लेखापाल
830242693

सुश्री दीशा सक्सेना
सहायक लेखापाल/केशियर
8619936489

विद्यार्थी शाखा

श्री दीपक प्रजापत
कार्यालय अधीक्षक
9782939252

श्री मोहनलाल कुम्हार
कार्यालय सहायक
9772801843

श्री ललित मेनारिया
कार्यालय सहायक
9929112417

चतुर्थ-श्रेणी-कर्मचारी

1. श्री देवराज थापा
2. श्री उमानाथ शर्मा
3. श्री सोहनलाल मेघवाल
4. श्री पंकज कुम्हार
5. श्री तोलीराम गमेती
6. श्री ओंकारलाल डांगी
7. श्री नारूलाल मेघवाल
8. श्री रामलाल डांगी
9. श्री भंवरसिंह चौहान
10. श्री मुकेश सिंह
11. श्रीमती संतोष हरिजन

VBRI STAR

Won Silver Medal

KARAN MENARIA

VIJAY SINGH

PRAVEEN MEENA

DHRUV RAO

All India Level Tournament

American Football

BHAWNA GAMETI

Rucbi Best Player in Rajasthan

NEELAM DANGI

Weight Lifting (Strong Women MLSU)

NEERAJ SUTHAR

Kick Boxing Bronze Madel in all INDIA

ADITYA KALAL

Best Player Archery Men MLSU

SONALI VAISHNAV

Best Player Archery Women MLSU

GAJENDRA

Best Player Volleyball MLSU

सांस्कृतिक गतिविधियाँ

अन्य गतिविधियां

पुस्तकालय

HAPPY
WOMEN'S DAY

28
SCIENCE DAY

ONE DAY WORKSHOP

राष्ट्रीय सेवा योजना

विद्या भवन सोसायटी की इकाइयाँ

विद्या भवन सीनियर सैकण्डरी विद्यालय, देवाली (1931)	2560588
विद्या भवन बुनियादी माध्यमिक विद्यालय, रामगिरी (1941)	2450806
विद्या भवन गो. रा. सेकसरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, देवाली (1942)	2451814
विद्या भवन पोलिटेक्निक महाविद्यालय, बड़गाँव (1956)	2451309
विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट, बड़गाँव (1956)	
(कला, विज्ञान और वाणिज्य में स्नातकोत्तर महाविद्यालय)	2453088
विद्या भवन कृषि विज्ञान केन्द्र, बड़गाँव (1984)	2451313
विद्या भवन शिक्षा संदर्भ केन्द्र, देवाली (1997)	2451497
विद्या भवन पब्लिक स्कूल, देवाली (2002)	2452246
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र नं. 2302 (2003)	2452107
(विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट परिसर)	
विद्या भवन गांधीयन इंस्टीट्यूट, रामगिरी (2008)	2452170
विद्या भवन प्रकृति साधना केन्द्र, भीलों का बेदला (2008)	

विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट, उदयपुर

(विद्या भवन सोसायटी की एक संस्था)
(कला, विज्ञान एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय)
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर से सम्बद्ध
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद् द्वारा 'बी' ग्रेड प्राप्त
बड़गाँव रोड, उदयपुर, फोनः 0294-2453088
E-mail : vbriudr@yahoo.com
Website : www.vidyabhawan.in
vidya-bhawan-rural-institute/

VIDYA BHAWAN SOCIETY
1931 - 2021